

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम ..... जून्दी  
 सुरेश कुमार वनाम सरकार  
 किस्म मुकदमा 68/पा० पत्र/६१ नं ..... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-9-21	<p>जुन्दी उपखण्ड अदालत 347 पा० पत्र फर्द                      रजिस्ट्रार को उपखण्ड अदालत में रजि.                      A.D. केरिम मल्ल को पत्रावली दि.                      25-10-21 को पेश है।</p>	
25-10-21	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है                      आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर                      दौरे में तशरीफ रखते हैं/ अन्य कार्य में व्यस्त है/                      अभिभाषकगण का उल्लेख पर है। अतः पत्रावली साबिक                      कार्यवाही हेतु दिनांक.....15-12-21...को पेश हो (उत्तर)</p>	
15-12-21	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है                      आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर                      दौरे में तशरीफ रखते हैं/ अन्य कार्य में व्यस्त है/                      अभिभाषकगण का उल्लेख पर है। अतः पत्रावली साबिक                      कार्यवाही हेतु दिनांक.....2-2-22...को पेश हो।</p>	
2-2-22	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है                      आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर                      दौरे में तशरीफ रखते हैं/ अन्य कार्य में व्यस्त है/                      अभिभाषकगण का उल्लेख पर है। अतः पत्रावली साबिक                      कार्यवाही हेतु दिनांक.....6-4-22...को पेश हो।</p>	
6-4-22	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है                      आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर                      दौरे में तशरीफ रखते हैं/ अन्य कार्य में व्यस्त है/                      अभिभाषकगण का उल्लेख पर है। अतः पत्रावली साबिक                      कार्यवाही हेतु दिनांक.....8-6-22...को पेश हो।</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज
21-8-23	<p>शुक्रलाल जप.। ठकील पसकारान की -  महसीलदार ठकील की रिपोर्ट पर उद्देश  सुनी गई। उद्देश पूर्ण हुई। अमावसी  महान 2073 से 2076 के रवाना में  नमा 115 126 वाले नाम नानकपुरिमा में  कमलेश पुत्र लोडम्मा के नाम 1/15 दिना  द्वारा है। जबकि उपलब्ध रिकार्ड से बाहर  है कि सुरेश की लोडम्मा का पुत्र है।  नका इसका नाम अमावसी में नहीं है।  भाव ही महसीलदार रिपोर्ट से भी इस  बात की पुष्टि होती है कि कमलेश  नका सुरेश एक ही व्यक्ति के नाम  है। अतः ज. म. न. फीकार किया जाना  है। महसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट की  अनुसंधान के मुताबिक रवाना में नमा  115 126 वाले नाम नानकपुरिमा में पायी  का नाम कमलेश पुत्र लोडम्मा की जगह  सुरेश पुत्र लोडम्मा किए जाने के  आदेश दिए जाते हैं। महसीलदार  ठकील के उपलब्ध रिकार्ड से अमल राम  किए जाने हैं। वन वाली किया जाने  पत्रावली कराल शुमार होकर वफर  कारिषल हो।</p>

अमावसी  
की तारीख

न्याया

पु

21/8/23  
9-21

अनुमान पर  
ज. म. न. फी  
का रि  
होकर  
वफर